"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक.85] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान संभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, 1933)

क्रमांक-4701/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011), जो दिनांक 29 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

(ग) अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष, इस प्रकार उपस्थित हो रहे किसी व्यक्ति से, ऐसे दस्तावेज, रोकड़ अथवा सामग्री के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी प्रश्न का उत्तर देने अथवा कोई विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(घ) लेखा के परीक्षण के दौरान सामग्री के किसी स्टॉक और नियत आस्तियों और अधोसंरचनात्मक आस्तियों का भौतिक सत्यापन करा सकेगा.

121 (2—क). **परिषद् सभा के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संपरीक्षित वित्तीय विवरण, तुलन-पत्र तथा संपरीक्षक का प्रतिवेदन तथा उस पर उसकी टिप्पणियां, परिषद् सभा के समक्ष रखेगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 121 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :— नयी धाराएं 121-क एवं 121-ख का अंत:स्थापन.

"121-क. **विशेष संपरीक्षण.**— वार्षिक लेखाओं के संपरीक्षण के अतिरिक्त, राज्य सरकार अथवा परिषद्, यदि उपयुक्त समझे, विनिर्दिष्ट मद अथवा मदावली, जिनका पूर्ण परीक्षण अपेक्षित हो, से संबद्ध विशेष संपरीक्षण के संचालन के लिए, संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और संपरीक्षण से संबंधित प्रक्रिया, आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे विशेष संपरीक्षण पर लागू होगी.

121-ख. **आंतरिक संपरीक्षण.**—राज्य सरकार अथवा परिषद्, परिषद् के दैनंदिन लेखा के आंतरिक संपरीक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी."

8. मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :— नयी धारा 122-क का अंत:स्थापन.

"122-क. **राज्य सरकार को संपरीक्षित खातों की प्रस्तुति.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अंगीकृत वित्तीय विवरण, तुलन पत्र एवं संपरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रति, नगरपालिका द्वारा उस पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और इसकी प्रतियां संपरीक्षक को भी भेजेगा."

9. अध्याय 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नया अध्याय 5-क अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— अध्याय 5-क लोक प्रकटीकरण विधि, धारा 122-ख का अंत:स्थापन.

अध्याय 5-क

"122-ख. **जानकारियों का लोक प्रकटन.**—

Public discloser law

(1) प्रत्येक नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत, अपने समस्त अभिलेखों को, जो सम्यक् रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध हों, ऐसी रीति तथा प्ररूप में संधारित तथा प्रकाशित करेगा, जो नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, को इस धारा के अधीन जनसामान्य हेतु अपेक्षित जानकारी प्रकट करने के लिये समर्थ बनाए.

(2) जानकारी के प्रकटन की रीति, उसकी आवर्तिता तथा रूपविधान (फार्मेट) ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाए."

10. मूल अधिनियम की धारा 307 में उप-धारा (1) के खंड (ख) में, अंक "251" के पश्चात् शब्द "तथा" के स्थान पर कॉमा "," अन्त:स्थापित किया जाए तथा अंक 285 के पश्चात्, अंक एवं शब्द "तथा 339-क" अंत:स्थापित किया जाए. अधिनियम की धारा 307 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 322 में शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. अधिनियम की धारा 322 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 323 की उपधारा (1) में, शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. अधिनियम की धारा 323 का संशोधन.

अधिनियम की धारा 331 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 331 की उप-धारा (1) एवं (2) में, शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए.

अधिनियम की धारा 332 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (1) में, शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए.

धाराएं 339-क, 339-ख, 339-ग, 339-घ, 339-ङ, 339-च का अंतःस्थापन.

15. मूल अधिनियम की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग, 339-घ, 339-ङ, 339-च में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"339-क. **कालोनी निर्माण करने वाले या भवन निर्माता का पंजीकरण.**—

(1) कोई व्यक्ति जो—

(क) कालोनी का निर्माण करने वाले कर्ता की हैसियत से नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के क्षेत्र में, किसी भूमि को भू-खण्ड में विभाजित करने के प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र का विकास करते हुए या विकास न करते हुए कालोनी या कालोनियों की स्थापना हाथ में लेने का आशय रखता है, ऐसे व्यक्तियों को जो इन भू-खण्डों पर आवासीय या गैर-आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखते हैं, क्रमशः या एक साथ अन्तरण करता है या अन्तरण करने का करार करता है; या

(ख) भवन निर्माता की हैसियत से नगरपालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भूमि पर चाहे वह उसकी हो या अन्य किसी व्यक्ति की हो, स्वतंत्र भवन या एकल भवन, प्रकोष्ठ (अपार्टमेंट) के साथ सन्निर्माण करता है या सन्निर्मित करवाता है या विद्यमान भवन या ऐसे भवन के किसी भाग को प्रकोष्ठ (अपार्टमेन्ट) में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करवाता है, तो उन सभी के या उनमें कुछ के अपने परिवार के सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों को जिसमें समनुदेशिती भी सम्मिलित है, विक्रय द्वारा या अन्यथा अंतरण के प्रयोजन के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन करेगा.

छूट :— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन गठित शहरी विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित अन्य निकायों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट होगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इस निमित्त बनाए गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तीस दिन के भीतर या तो पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा या जारी करने से इंकार करेगा:

परन्तु, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करता है तो इंकार करने के कारण आवेदक को सूचित किए जाएंगे.

परन्तु यह और कि, कोई अपील धारा 307 के अधीन गठित अपील समिति के समक्ष मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन के नामंजूर होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल की जा सकेगी.

(3) राज्य सरकार को, पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये नियम बनाने की शक्ति होगी जिनमें आवेदन का प्ररूप, पंजीकरण के लिये फीस की रकम तथा अन्य निर्बंधन तथा शर्तें विहित की जाएंगी.

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर

क्र 5591/4194/18/06 रायपुर, दिनांक 29/09/07

प्रति,

समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
..... जिला .....

विषयः आदर्श "नगर पालिका डिस्क्लोजर विधेयक" लागू करने हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय का अर्ध शा. पत्र क्र. K-14012/112/2006-NURM, New Delhi, Dated : 03-08-2006.

विषयांतर्गत लेख है कि राज्य सरकारों द्वारा मॉडल डिस्क्लोजर कानून लागू किये जाने पर ही केन्द्र शासन द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

चूंकि राज्य में सूचना का अधिकार कानून पूर्व में ही लागू हैं, इसलिए मॉडल डिस्क्लोजर कानून के अंतर्गत निम्नानुसार बिन्दुओं को लागू करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं। उक्त जानकारियां आवश्यकता अनुसार समाचार पत्रों/नोटिस बोर्ड, इंटरनेट, जोन कार्यालयों या शासन द्वारा समय – समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रकाशित किये जाएगें :–

1. समस्त अचल संपत्तियों का प्रकाशन किया जाना।
2. नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा सभी संबंधित रिकार्ड को संधारित एवं प्रकाशित किया जाना।
   (अ) नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के गठन संबंधित जानकारी ।
   (ब) नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा गठित कोई भी समिति, बोर्ड, परिषद् या अन्य निकाय से संबंधित समितियॉ।
3. अधिकारी/कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी संबंधित सूचियॉ।
4. अनुमति देने वाले/छूट देने वाले अधिकारियों के नाम एवं पद की जानकारी।
5. आय व्यय की अंकेक्षित वित्तीय जानकारी।
6. त्रैमासिक केश फ्लो की जानकारी।
7. निकाय द्वारा नागरिकों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी।
8. निकाय की योजनाऐं, प्रस्तावित व्यय, मुख्य योजनाओं/सुविधाओं/क्रिया कलापों पर वास्तविक व्यय तथा व्यय एवं जारी की गई राशि की जानकारी।

9. निकाय द्वारा संचालित/संधारित मुख्य सेवाओं में दी जा रही छूट कार्यक्रम एवं हितग्राहियों की पहचान एवं चयन प्रक्रिया संबंधित जानकारी।
10. निकाय द्वारा किये जा रहे मुख्य/बड़े निर्माण कार्यो की लागत, कार्यावधि कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा अनुबंध की जानकारी।
11. निकाय की वित्तीय स्थिति एवं पूर्व वर्ष में आय के लिये किये गये वसूली जैसे विभिन्न कर, लाईसेंस एवं अनुज्ञा शुल्क, किराया सरचार्ज आदि।
12. विभिन्न कर, लाईसेंस एवं अनुज्ञा शुल्क, किराया सरचार्ज आदि की जानकारी जो वसूली हेतु शेष है।
13. राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे करों में निकाय का अंश एवं निकाय को जारी राशि तथा शासन द्वारा निकाय को दिये गये अनुदान की जानकारी।
14. राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिये गये अनुदान एवं उपयोगिता की जानकारी।
15. अर्द्धशासकीय संस्थाओं/जनता से प्राप्त दान या सहभागिता की जानकारी।
16. प्रत्येक वार्ड में वार्षिक बजट आंबटन की जानकारी।

भविष्य में आदर्श "नगर पालिका डिस्क्लोजर विधेयक" के लिये यदि अलग से कानून बनाया जाता है तो उसकी जानकारी पृथक से दी जायेगी।

29-9-07
(गेबनुस खलखो)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक 5592/4194/18/2006 रायपुर दिनांक 29/09/07

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मंत्री जी, छत्तीसगढ़, शासन, रायपुर।
2. आयुक्त सह-संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग. रायपुर।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभागीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़।
6. अनुभाग अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय को गार्ड फाईल में रखे जाने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29-9-07
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग